

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

परामर्श

बनाम रावत

कार्यवाही अन्तर्गत

128 CR 125

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र

नं.

81

सन्

2020

(2020/00132)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इन हुकम को लागू में जारी हु
<p>20/10/2021</p> <p>2020 00132</p>	<p>परामर्श प्रशासन गांवों के लगे अभिभाग 2021 के तहत गा.पं. ओड्डर पर अंतर्भूत शिपिंग में निष्कारण हेतु लायी गई हुकूमत का अवलोकन किया। प्रार्थी ग्राम मिश्रों की पिपली प.ह. ओड्डर स्मित अपनी खतेदारी आरजी नम्बर 473, 476, 477, 931 की ल 4 कुल रकम 3-3250 हे 0.39 0.23 0.79 1.350 की पत्थरगटी कराना चाहता है। परामर्श के उपलब्ध नकल जमावरी सम्पत् 2011-2014 अनुसार उक्त आरजीप्रात जमी के जाम खतेदारी हक से की रेकर्ड हैं। इस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 128 CR 125 सीका किया जाकर ग्राम मिश्रों की पिपली प.ह. ओड्डर स्मित प्रार्थी की खतेदारी आ.नं. 473, 476, 477, 931 की ल 4 कुल रकम 3-3250 हे 0.39 की बिना किसी के फटजे से दायतगरी किए बिना नमो अनुहा पत्थरगटी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 1500.00 रु. 3.50 रु. एक हजार शंखी रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनाब तहसील चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि परामर्श को लिखित सूचना देकर निम्नानुसार पत्थरगटी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। परामर्श पालना सुभा लेबा नम्बर ले कम हो।</p>	<p>ग.क.</p> <p>27</p> <p>रावत</p>

(श्याम सुन्दर विस्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

